पत्र संख्या–सम्पत्ति/किराया/2024–2025/ 203

अनुस्मारक

/ राज्य कर,
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0
(सम्पत्ति/किराया अनुभाग)
लखनऊ::दिनाक:20:सितम्बर, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषयः–**राज्य कर विभाग के किराये के भवनों की किराया स्वीकृति एवं किराया नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या–162 दिनांक 21.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राज्य कर विभाग के किराये के भवनों की किराया स्वीकृति एवं किराया नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या–489 दिनांक 07.03.2018 द्वारा निर्गत आदेशानुसार सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त के स्तर से किन–किन कारणों से किराया नवीनीकरण/किराया स्वीकृति का आदेश निर्गत होने में विलम्ब हो रहा है ? के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से अवगत कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था, **किन्तु वस्तु स्थिति की सूचना मुख्यालय पर अद्यतन अप्राप्त है।**

अतः उक्त के दृष्टिगत पुनः निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के पत्र संख्या–489 दिनांक 07.03.2018 द्वारा निर्गत आदेशानुसार सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त के स्तर से किन–किन कारणों से किराया नवीनीकरण/किराया स्वीकृति का आदेश निर्गत होने में विलम्ब हो रहा है ? के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रकरण के निस्तारण हेतु युक्तिसंगत निर्णय लिया जा सके।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त राज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र विभागीय वेबसाइट के सूचना बोर्ड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त राज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।